उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–38/2023–24

पूनम देवी

बनाम्

मो0 छठिया एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 19/1/24

अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी,महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–210 / 2016–17 के आदेश दिनांक–21.06.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय में उत्तरवादी के ससुर चमरू राय एवं जमाबंदी रैयत के अन्य उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं था। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आदेश पारित किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है। उन्होंने अपील आवेदन अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन विलम्ब से दाखिल किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन काल बाधित है। यद्यपि कि अपीलकर्त्ता के द्वारा काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत आवेदन दाखिल किया है। लेकिन दाखिल अपील आवेदन में विलम्ब का पर्याप्त कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:23:55 +05:30
Location: 192.168.1.54

लिखाया एवं शुद्ध किया।

19/01/24

उपायुक्त,
गोड्डा।

19/01/24

उपायुक्त,
गोड्डा।